

'छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना' शुरू

चर्चा में क्यों?

7 अक्तूबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने हेतु 'छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना' प्रारंभ की गई है।

प्रमुख बदु

- छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त, 2023 को इस नवीन योजना को शुरू करने की घोषणा के परिपालन में 1 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है।
- योजना के अंतर्गत कुंक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्ववित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यवसायिक इकाई स्थापित पर 5 वर्ष के लिये स्थायी पूंजी निवश अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिये शुरू की गई इस योजना में विकसित और विकासशील विकासखंडों में कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना के लिये 25 से 40 प्रतिशत तक पूंजी निवश अनुदान दिया जाएगा।
- ब्रायलर, देशी कुक्कुंट और रंगीन कुक्कुट इकाईयों की स्थापना के लिये 'अ'श्रेणी <mark>क्षेत्र</mark> में सामा<mark>न्य</mark> श्रेणी के हतिग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हतिग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवश पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- इसी तरह 'ब'श्रेणी क्षेत्र के सामान्य हितग्राही को 35 प्रतिशत और अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु
 स्थायी पूंजी निवश पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा ।
- कुंक्कुट लेयर और पेरेंट कुंक्कुट इकाई के लिये 'अ'श्रेणी क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा अनूसुचित जाति एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु स्थायी पूंजी निवश पर 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।
- इसी तरह 'ब'शरेणी क्षेत्र के सामान्य हाँतग्राही को 35 प्रतिशत और अनूसुचित जाता एवं अनूसुचित जनजाति और ईडब्लूएस के हितग्राही हेतु
 स्थायी पूंजी निवश पर 40 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chhattisgarh-poultry-farming-promotion-scheme-started